UPMI010038412022

न्यायालय Spl. Judge S.C./S.T.Act, Mirzapur

पीठासीन अधिकारी– (SRI VAYU NANDAN MISHRA), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01577

परिवाद संख्या 119 सन् 2022
रणजीत कुमार बनाम सागर यादव वगै0।
थाना मड़िहान, जनपद मीरजापुर।

03.01.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी को बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दर्ज कराये जाने एवं अधिवक्ता को सुने जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु कोई उपस्थित नहीं आये इस कारण उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पत्रावली को आदेश हेतु नियत किया गया है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। दिनांक 15.09.2022 को समय लगभग 10 बजे सुबह प्रार्थी अपने खेत पर गया हुआ था जहां उपरोक्त विपक्षीगण पहले से खड़े थे। प्रार्थी कहा कि आप मेरी जमीन जबरदस्ती जोत–बो रहे है। इतने में विपक्षीगण जातिसूचक अपशब्द कहकर गाली गलौज करने लगे तथा थप्पड़ से मारने लगे। प्रार्थी अपनी जान बचाते हुए दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा और अपने घ ार के अन्दर घुस गया। उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी के घर में घुस कर लात घूसा से मारने पीटने लगे। प्रार्थी को बचाने के लिये उसकी माता व परिवार के लोग आये तो उन्हे भी गाली गलौज देते हुए भागने लगे तथा घर के बाहर बंधे पशुओं को लाठी से मारने लगे। प्रार्थी ने घटना की सूचना थाना मड़िहान पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके पश्चात् दिनांक 01.10.2022 को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद वह न तो बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दर्ज कराने के लिये उपस्थित आया और न ही अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत किया। परिवादी दिनांक 18.10.2022 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहा है। परिवाद में किये गये कथानक को प्रथमदृष्ट्या विश्वसनीय व संतोषजनक साबित करने के लिये परिवादी ने न तो अपना बयान दर्ज कराया है

और न ही अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार संतोषजनक ढंग से प्रथमदृष्ट्या साबित हो सके।

अतः मात्र परिवाद कथानक के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तदनुसार परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के प्रावधान के आलोक में निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार न पाते हुए धारा 203 दं0प्र0सं0 के आलोक में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार सचित अभिलेखागार हो।

(वायु नन्दन मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
मीरजापुर।